

Form No. III**फर्दअहकाम**

(नियम 26)

अज अदालत **कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़** मुकाम **चित्तौड़गढ़****नारायण****बनाम****सरकार****कार्यवाही अन्तर्गत :- धारा 457 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973**किस्म मुकदमा **विविध प्रार्थना पत्र (457 CrPC)** नं० **003** सन् **2024**

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
11.06.2024	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी हाजिर। अभियोजन अधिकारी हाजिर। प्रकरण में प्रार्थी वाहन स्वामी नारायण लाल पिता जस्सा जाति रेबारी निवासी राजगढ पुलिस थाना पारसोली तहसील बेंगू जिला चित्तौड़गढ़ की और से पुलिस थाना बेंगू में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट 248/2023 दिनांक 13.09.2023 अपराध अन्तर्गत धारा 3, 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 एवं 286 एवं 336 भादसं 1860 में जब्त शुदा वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या RJ 09 GC 6405 को प्रार्थी अधिकृत/वाहन स्वामी को सिपुर्द किये जाने बाबत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 457 जाफ़ता फौजदारी के तहत प्रस्तुत किया। जिस पर थानाधिकारी, पुलिस थाना बेंगू जिला चित्तौड़गढ़ से टिप्पणी/कमेन्ट्स हेतु लिखा गया। इस पर थानाधिकारी पुलिस थाना बेंगू जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्रांक/252 दिनांक 20.01.2024 से टिप्पणी/अभिमत प्रेषित कर अवगत कराया गया कि वाहन मालिक को सिपुर्द किये जाने में किसी भी प्रकार आपत्ति नहीं है। थानाधिकारी पुलिस थाना बेंगू द्वारा प्रेषित टिप्पणी/अभिमत शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। अधिवक्ता प्रार्थी ने वाहन के खाली होने से अनुसंधान में आवश्यकता नहीं होना बताया एवं जमानत एवं सिपुर्दगी पर न्यायालय द्वारा विहित शर्तों पर वाहन स्वामी को सुपुर्द करने बाबत निवेदन किया। अभियोजन अधिकारी ने कथन किया कि जब्तशुदा वाहन को रिलिज करने पर पुनः अवैध कारोबार में काम लेने की पूर्ण सम्भावना है। अतः जब्तशुदा वाहन प्रार्थी को सुपुर्द नहीं किया जावे। हमने पत्रावली का अवलोकन कर उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पुलिस थानाधिकारी पुलिस थाना बेंगू से प्राप्त अभिमत का गहनता से परिशीलन/अवलोकन किया। थानाधिकारी, पुलिस थाना बेंगू द्वारा वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या RJ 09 GC 6405 के संबंध में अनुसंधान पूर्ण किया जाना अवगत कराया गया है एवं वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या RJ 09 GC 6405 की अनुसंधान में आवश्यकता नहीं होना अवगत कराया गया है। ऐसी स्थिति में जब्तशुदा वाहन को वाहन स्वामी/अधिकृत स्वामी को जमानतनामा एवं सिपुर्दगीनामा पर सिपुर्द किया जाना उचित प्रतीत होता है, अतः स्वामी/अधिकृत स्वामी द्वारा रूपये 05,00,000/- अक्षरे पांच लाख रूपये के जमानतनामा एवं सिपुर्दगीनामा प्रस्तुत करने पर प्रकरण में जब्तशुदा वाहन वाहन स्वामी/अधिकृत को सौंपे जाने के आदेश दिए जाते हैं। पत्रावली प्रार्थी द्वारा जमानतनामा एवं सिपुर्दगीनामा पेश होने पर पुनः पेश हो।</p>	

-S/d-

(आलोक रंजन)

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,

चित्तौड़गढ़

11.06.2024

